संख्या-40/2022/आई/13667640/ 41-1005/108/2019

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 31 जनवरी, 2022

विषय:- ओ0ए0संख्या-280/270 (एम0ए0-529/2017) गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान व अन्य बनाम उ0 प्र0 पर्यावरण विभाग एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष सम्बद्ध किये गए अधिवक्ता (सुश्री पिंकी आनंद, अपर महासालिसिटर, भारत) की फीस का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5094/6-1-1(एन0जी0टी0)/2021, दिनांक 26.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ओ0ए0संख्या-280/270 (एम0ए0-529/2017) गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान व अन्य बनाम उ0 प्र0 पर्यावरण विभाग एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष सम्बद्ध किये गए अधिवक्ता (सुश्री पिंकी आनंद, अपर महासालिसिटर, भारत) की फीस का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रावधानित धनराशि रू0 4500.00 लाख की अवशेष राशि में से लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अधिष्ठान के मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 71.25 लाख (रू0 इकहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 आय-व्ययक के अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में हो रही बचत से लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अधिष्ठान के मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित धनराशि रू0 71.25 लाख को पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियम तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-आर-ई-326/दस-2022, दिनांक 31 जनवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने के पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम -44-पर्यटन विभाग | वित्तीय वर्ष 2021-22 | (धनराशि रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष)15 डिजीट कोड में(राजस्व मद	आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान विनियोग/	आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग/)2-5(	लेखाशीर्ष)15 डिजीट कोड में(राजस्व मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान विनियोग/	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि)9-8(	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग/)8+11(
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-(गैर वेतन)सामान्य	4500.00	3700.00	71.25	71.25	4428.75	लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अधिष्ठान के मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00	73.25	71.25	71.25	73 .25
योग	4500.00	3700.00	71.25	71.25	4428.75	योग-	2.00	73.25	71.25	71.25	73.25

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नोट- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण-

1- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में अधिक धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण बचत संभावित है। वर्तमान में उपलब्ध बचत रू0 37.50 करोड़ से उक्त तालिकानुसार सन्दर्भित मद में कुल रू0 100.00 लाख के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव है

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-ओ0ए0संख्या-280/270 (एम0ए0-529/2017) गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान व अन्य बनाम उ0 प्र0 पर्यावरण विभाग एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष सम्बद्ध किये गए अधिवक्ता (सुश्री पिंकी आनंद, अपर महासालिसिटर, भारत) की फीस का भुगतान कराने हेतु रु0 71.25 लाख की धनराशि की और अधिक आवश्यकता है तथा इस मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण पुनर्विनियोग किया जाना है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट/परिसीमाओं का उलंघन नहीं होता है।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-आर-ई-326/दस-2022, दिनांक 31 जनवरी, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
6. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।